पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-मनोरंजन कर समायोजन(141)/2018-19/2022-23/ 2057 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 29 , 2022

1- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

2-अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) राज्य कर,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:- मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों (अधिकारियों, निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों) के सेवा संवर्गों का वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश के संबंधित संवर्गों में संविलियनकरण नियमावली, 2022 के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अधिसूचना संख्या-946/ 11-3-2022-103/2017 टी0सी0, दिनांक 21.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों (अधिकारियों, निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों) के सेवा संवर्गों का वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश के संबंधित संवर्गों में संविलियनकरण नियमावली, 2022 से संबंधित अधिसूचना जारी की गयी है।

अतः शासन द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 21.07.2022 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0/संग्रह) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
2- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त अधिसूचना दिनांक 21.07.2022 की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4- समस्त उपायुक्त (प्रशासन) / आहरण वितरण अधिकारी/ सहायक आयुक्त (ए), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- सहायक आयुक्त(पूर्व मनोरंजकर कर) राज्य कर, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- पटल प्रभारी-स्था0-5क, 5क(पूर्व मनोरंजन विभाग), 5ख, 5ग, 4क, 4ख, 4ग, 4घ, 3क, 3ख एवं चरित्र पंजिका सेल (स्थापना अराजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

29/07/2022

अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश सरकार
राज्य कर अनुभाग–3
संख्या–946 / 11–3–2022.–103 / 2017 टी0सी0
लखनऊ दिनांकः 21 जुलाई 2022

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद,309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, एतदद्वारा मनोरंजन कर विभाग के समस्त कार्यरत अधिकारियों, निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों का वाणिज्य कर विभाग के संबंधित संवर्गों में निम्नानुसार संविलयनकरण नियमावली बनाती हैः–

मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों (अधिकारियों, निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों) के सेवा संवर्गों का वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश के संबंधित संवर्गों में संविलयनकरण नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1– (1) यह नियमावली मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों (अधिकारियों,निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों) के सेवा संवर्गों का वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश के संबंधित संवर्गो में संविलयनकरण नियमावली,2022 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह नियमावली मनोरंजन कर विभाग के समस्त सेवा संवर्गो के संविलयन के लिये लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव 2– इस नियमावली के उपबन्ध, इस क्रम में जारी किन्हीं अन्य नियमों या कार्यपालक आदेशों में उनसे असंगत किसी बात के होते हुये भी प्रभावी होंगें।

परिभाषाएं 3– जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(1) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य वाणिज्य कर विभाग के संबंधित सेवा संवर्ग में समुचित नियुक्ति प्राधिकारी से है, किन्तु निरीक्षक के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य वाणिज्य कर आयुक्त से है।

(2) "सेवा नियमावली" का तात्पर्य वाणिज्य कर विभाग के संबंधित सेवा संवर्गीय पदों को शासित करने वाली सेवा नियमावली से है, किन्तु निरीक्षक के संबंध में इसका तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर निरीक्षक सेवा नियमावली,1982 से है।

(3) "मौलिक नियुक्ति का दिनांक" का तात्पर्य अधिसूचना दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को धारित पद पर नियुक्ति के दिनांक से है।

(4) "संवर्ग" का तात्पर्य इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय वाणिज्य कर विभाग और मनोरंजन कर विभाग के संबंधित सेवा

संवर्ग में उपलब्ध पदों के समूह से है, किन्तु निरीक्षक संवर्ग का तात्पर्य अधिसूचना दिनांक 09 मार्च, 2019 द्वारा मृत संवर्ग के रूप में वाणिज्य कर विभाग में संविलयन कृत पदों के समूह से है।

(5) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

संविलयन हेतु ज्येष्ठता/सेवा की पात्रता का अवधारण

4— (1) मनोरंजन कर विभाग के मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों का संविलयन, सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या—624/11—3—2018—103/2017, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग के उसी सेवा संवर्ग में किया गया था और मौलिक रूप से नियुक्त मनोरंजन तथा पणकर निरीक्षकों का संविलयन सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या—452/11—3—2019—103/2017, दिनांक 09 मार्च,2019 के माध्यम से किया गया था।

(2) मनोरंजन कर विभाग के संबंधित सेवा संवर्ग के कर्मचारी, जो मौलिक रूप से नियुक्त हों, वाणिज्य कर विभाग के संबंधित सेवा संवर्ग में नियमानुसार संविलयन हेतु पात्र हैं।

(3) (1) मनोरंजन कर विभाग के सेवा संवर्गों के कर्मचारी संविलयन के दिनांक को धारित संवर्ग (सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा) में मौलिक नियुक्ति के आधार पर वाणिज्य कर विभाग के संबंधित सेवा संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में इस शर्त के साथ सम्मिलित किये जायेंगे कि मूल संवर्ग की पारस्परिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहे।

(2) प्रत्येक वर्ष की प्रथम जुलाई से अगले वर्ष के 30 जून के मध्य मौलिक रूप से नियुक्त वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारी को ज्येष्ठ मानते हुये उसी अवधि के मध्य मौलिक रूप से नियुक्त मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारी की ज्येष्ठता विनिश्चित की जायेगी।

(4) इस नियमावली के अधीन मनोरंजन कर विभाग के समस्त सेवा संवर्ग में संविलयनकृत कर्मचारियों का पदनाम, संविलयन होने की अधिसूचना दिनांक 24, अप्रैल, 2018 को वाणिज्य कर विभाग के सेवा संवर्ग के अनुसार होगा। मनोरंजन एवं पणकर निरीक्षक का पदनाम अधिसूचना संख्या—452/11—3—2019—103/2017, दिनांक 09 मार्च, 2019 के अनुसार होगा। इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात संबंधित पद पर उसकी ज्येष्ठता, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामले वाणिज्य कर विभाग के सेवा संवर्ग की संबंधित नियमावली के अधीन विनिश्चित किये जायेगें।

किन्तु, निरीक्षकों की सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश आमोद

एवं पणकर निरीक्षक सेवा नियमावली,1982 के अधीन विनिश्चित की जायेगी।

(5) संविलयन के पश्चात संविलयनकृत कर्मचारी, वाणिज्य कर विभाग के संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अधीन नियुक्त कर्मचारी माने जायेंगे और भविष्य में उनकी सेवायें, वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारियों की संबंधित सेवा नियमावली द्वारा शासित की जायेंगी।

किन्तु, निरीक्षकों की सेवा संबंधी मामलों में वे उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर निरीक्षक सेवा नियमावली,1982 के संबंधित उपबन्धों के अधीन नियुक्त कर्मचारी के रूप में समझे जायेगें।

(6) संविलयन कृत कर्मचारियों के पूर्ववर्ती उपार्जित अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश की गणना, वाणिज्य कर विभाग में निर्धारित उपार्जित अवकाश के साथ की जायेगी।

(7) मनोरंजन कर विभाग के समस्त सेवा संवर्गो के संबंधित पदों पर किया गया संविलयन, वाणिज्य कर विभाग के संबंधित सेवा संवर्ग में की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव
राज्य कर विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

Government of Uttar Pradesh
Rajya Kar Section-3
Notification
Miscellaneous
No. 946 /11-3-2022-103/2017 T.C.
Lucknow : Dated 21 July , 2022

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the constitution the Governer is pleased to order the publication of the following English translation of notification no ....dated.......

The Governor of Uttar Pradesh hereby pleased to make the following merger Rules of all working officers, inspectors and other employees of Entertainment Tax Department in the related cadres of Commercial Tax Department by using the power conferred in proviso of Article 309 of the Constitution:-

Employee of Entertainment Tax Department (service cadres of officers, inspectors and other employees) in the related cadres of Commercial Tax Department, Uttar Pradesh Merger Rules-2022

Short title and commencement	1-	(1)	This Rules may be called, the Employee of Entertainment Tax Department (service cadres of officers, inspectors and other employees) in the related cadres of Commercial Tax Department, Uttar Pradesh Merger Rules-2022.
		(2)	They shall come into force at once.
		(3)	These Rules shall applicable for merger of all service cadre of Entertainment Tax Department.
Overriding Effect	2-		Provision of these rules shall have effect notwithstanding anything inconsistent there with in any other rules or executive order issued in this course.
Definitions	3-		In these Rules, unless the context otherwise requires,-
		(1)	"Appointing Authority" means appropriate authority of appointment in related service cadre in Commercial Tax Department, but in relation to the Inspector appointing authority means Commercial Tax Commissioner.
		(2)	"Service Rules" means service rules governing the post of related service cadre of Commercial Tax Department, but in relation to the Inspector it means Uttar Pradesh Entertainment and Batting Tax Inspectors Service Rules, 1982.
		(3)	"Substantive Appointment Date" means the date of appointment at the post held on notification date 24 April 2018.
		(4)	"Cadre" means the group of posts available in the related service cadre of Commercial Tax Department and Entertainment Tax Department at the time of commencement of these rules, but for the inspector cadre means the group of posts merged in the commercial Tax Department as

dead cadre by notification dated 09 March, 2019.

(5) "Government" means The Uttar Pradesh Government.

Determination of eligibility of Seniority / Service for merger

4- (1) Substantively appointed those all officers and other employees of Entertainment Tax Department were merged in same service cadre of Commercial Tax Department by the notification no-624/11-3-2018-103/ 2017, dated 24 April 2018 and substantively appointed those Entertainment and Betting Tax Inspectors have been merged by notification no-452/11-3-2019-103/2017 dated 09 March 2019 by the Government.

(2) Those employees of related service cadre of Entertainment Tax Department, who are substantively appointed are eligible for merger in related service cadre of Commercial Tax Department as per rules.

(3) (1) The employee of service cadres of Entertainment Tax Department is incorporated in the seniority list of related service cadre of Commercial Tax Department on the basis of the substantive appointment on the cadre (Direct recruitment /by promotion) held on the date of merger, with a condition that inter seniority will unchanged of the substantive cadre.

(2) The employee of Commercial Tax Department substantively appointed between 1st July to 30th June of next year, of each year assume senior, seniority of substantively appointed employee of Entertainment Tax Department between the same period shall decided.

(4) Under these rules, the designation of all service cadre merged employees of Entertainment Tax Department had accordingly the service cadres of Commercial Tax Department on merger notification on dated 24 April 2018. Designation of Entertainment and Betting Tax Inspector shall have accordingly notification no-452/11-3-2019 - 103/2017 dated 09 March 2019. After the commencement these rules the seniority, promotion and others service related matter on related post shall decided under the concerning rules of service cadre of Commercial Tax Department.

But, the service rules of inspectors shall be decided under the Uttar Pradesh Entertainment and Batting Tax Inspectors Service Rules 1982.

(5) After the merger, the merged employees shall be assumed as the employee appointed under the service rules of related cadre of Commercial Tax

Department and in future their services will be governed by the concerning service rules of Commercial Tax Department employees.

But, in the service related matter of inspectors, they will be assumed as a employee appointed under the concerning provision of Uttar Pradesh Entertainment and Batting Tax Inspectors Service Rules 1982

(6) Previously earn, leave, medical leave of merged employee shall be calculated with the earn, leaves assessed in the Commercial Tax Department.

(7) The merger on the related posts of all service cadres of Entertainment Tax Department shall be treated appointment in the related service cadre of Commercial Tax Department.

By order

(Nitin Ramesh Gokaran)

Principal Secretary